



# सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

बरवा रोड, धनबाद-826001 (झारखंड)

(वेबसाइट: [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in))



## विज्ञापन सं. :- CIMFR- 02/ 2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि :

20-05-2026 प्रातः 10:00 बजे

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:

19-06-2026 सायं 05:00 बजे

सीएसआईआर-सिम्फर लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित करने वाला कार्यबल विकसित करने के लिए प्रयासरत है तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), धनबाद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), नई दिल्ली के तत्वावधान में एक अंगीभूत प्रयोगशाला है, जो अन्वेषण, खनन एवं उपयोगिता को शामिल करते हुए सम्पूर्ण कोयला आधारित ऊर्जा श्रृंखला में अनुसंधान एवं विकास इनपुट प्रदान करता है। उक्त प्रयोगशाला सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वच्छ परिवेश के उच्च मानकों के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा एवं वृद्धि हेतु लक्षित उत्पादन तक पहुँचने के लिए खनिज आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए राष्ट्रीय मिशनों को ध्यान में रखते हुए सीएसआईआर-सिम्फर ने अपनी दृष्टि, मिशन और नीतियों में परिवर्तन और साथ ही अल्प तथा दीर्घ काल के लिए लक्ष्यों को पुनः परिभाषित किया है। यह आत्मनिर्भरता पर समान जोर देते हुए द्रुत संधारणीय राष्ट्रीय तकनीकी-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। सीएसआईआर-सीआईएमएफआर झारखंड राज्यांतर्गत धनबाद शहर में स्थित है, जो भारत की कोयला राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। देश के पूर्वी भाग के दामोदर बेसिन में स्थित यह शहर समृद्ध कोयला निक्षेपों से संपन्न है और यहाँ खनिजों से संबंधित कई बड़े उद्योग मौजूद हैं।

यह संस्थान धनबाद (डिगवाडीह एवं बरवा रोड परिसर) (झारखंड) तथा अपने अनुसंधान केंद्रों-बिलासपुर (छत्तीसगढ़), नागपुर (महाराष्ट्र), रांची (झारखंड), रुड़की (उत्तराखंड) एवं रानीगंज (पश्चिम बंगाल) के लिए विभिन्न ट्रेडों में गतिशील एवं रचनात्मक तकनीशियनों की तलाश कर रहा है। शैक्षणिक योग्यता, आयु आदि मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट पर निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन ([आवेदन करें](#)) कर सकते हैं।

सीएसआईआर-सीआईएमएफआर निम्नलिखित पदों के लिए योग्यता रखने वाले, गतिशील, परिणामोन्मुख एवं समर्पित भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

पद	पदों की संख्या एवं आरक्षण	7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार वेतनमान	कुल परिलब्धियाँ (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार)	(विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार) ऊपरी आयु सीमा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए
तकनीशियन-1 ग्रुप- II (1)	30 (पीडब्लूबीडी: 02 एवं ईएसएम: 03 सहित) {अनारक्षित: 10, ईडब्लूएस: 05, अ.पि.व.: 02, अ.जा.: 02, अ.ज.जा.: 11, पीडब्लूबीडी: 02 (एक कम सुनने वाले और एक कम दृष्टि के साथ दृष्टिबाधित व्यक्ति) एवं ईएसएम: 03}	लेवल-2 (₹- 19,900-63,200)	₹ 37,000/-* प्रतिमाह* [लगभग]	28 वर्ष**

\* कुल परिलब्धियाँ से आशय वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर, धनबाद में लागू गृह किराया भत्ता सहित, प्रति माह देय अनुमानित कुल परिलब्धियों से है।

\*\* आयु सीमा एवं छूट कॉलम के अंतर्गत आयु में छूट का विवरण देखें।

प्रयुक्त संक्षिप्त रूप: अना. - अनारक्षित/ सामान्य, अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. (एनसीएल)- अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर), ईडब्लूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्लूबीडी- बेंचमार्क विकलांगता, वीएच- कम दृष्टि वाले दृष्टि-बाधित, एचएच- बधिर एवं कम सुनने वाले, ईएसएम- भूतपूर्व सैनिक।

तकनीशियन-1/ ग्रुप-II (1) पदों के संबंध में आवश्यक योग्यता निम्नानुसार हैं:

पोस्ट कोड	कार्य क्षेत्र	अनिवार्य अर्हता	वर्ग सहित पदों की संख्या
2026/001	इंस्ट्रूमेंट मेकानिक्स	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>इंस्ट्रूमेंट मेकानिक्स</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र। अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>इंस्ट्रूमेंट मेकानिक्स</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>इंस्ट्रूमेंट मेकानिक्स</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	03 (अना.: 01, ईडब्लूएस: 01 एवं अ.ज.जा.: 01)
2026/002	सर्वे/ सर्वेयर/ सर्वेयिंग	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>सर्वे/ सर्वेयर/ सर्वेयिंग</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र। अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>सर्वे/ सर्वेयर/ सर्वेयिंग</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>सर्वे/ सर्वेयर/ सर्वेयिंग</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	03 (अना.: 01, ईडब्लूएस: 01 एवं अ.ज.जा.: 01)
2026/003	फिटर	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>फिटर</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र। अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>फिटर</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>फिटर</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	05 (अना.: 02, अ.जा.: 01 एवं अ.ज.जा.: 02)  उपरोक्त में से एक पोस्ट पीडब्लूबीडी (वीएच) के लिए आरक्षित है।

2026/ 004	वेल्डर	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>वेल्डर</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र। अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>वेल्डर</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>वेल्डर</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	02 (अना.: 01 एवं अ.ज.जा.: 01)
2026/ 005	कार्पेंटर	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>कार्पेंटर</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र। अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>कार्पेंटर</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>कार्पेंटर</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	01 (अ.पि.व.: 01)
2026/ 006	इलेक्ट्रिशियन	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>इलेक्ट्रिशियन</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र। अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था <b>इलेक्ट्रिशियन</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>इलेक्ट्रिशियन</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	07 (अना.: 03, ईडब्लूएस:01 एवं अ.ज.जा.: 03)  उपरोक्त में से एक पोस्ट ईएसएम और एक पोस्ट पीडब्लूबीडी (एचएच) के लिए आरक्षित है।
2026/ 007	वायरमैन	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>वायरमैन</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र। अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>वायरमैन</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त</p>	01 (अ.पि.व.: 01)

2026/008	रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी)	<p>निकाय में <b>वायरमैन</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी)</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।</p> <p>अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी)</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी)</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	02 (अना.: 01 एवं अ.ज.जा.: 01)
2026/009	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>ड्राफ्ट्समैन सिविल</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।</p> <p>अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>ड्राफ्ट्समैन सिविल</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>ड्राफ्ट्समैन सिविल</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	01 (ईडब्ल्यूएस: 01)
2026/010	ऑटोमोबाइल / मेकानिक मोटर वेहिकल (एमएमवी)	<p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>ऑटोमोबाइल / मेकानिक मोटर वेहिकल (एमएमवी)</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।</p> <p>अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>ऑटोमोबाइल/ मेकानिक मोटर वेहिकल (एमएमवी)</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>ऑटोमोबाइल/ मेकानिक मोटर वेहिकल (एमएमवी)</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p>	02 (अना.: 01 एवं अ.ज.जा.: 01)  उपरोक्त में से एक पोस्ट ईएसएम के लिए आरक्षित है।

2026/011	डाफ्ट्समैन यांत्रिक	विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>डाफ्ट्समैन यांत्रिक</b> में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र। अथवा	03 (ईडब्लूएस: 01, अ.जा.: 01, अ.ज.जा.: 01)
		विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से <b>डाफ्ट्समैन यांत्रिक</b> में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा	उपरोक्त में से एक पोस्ट ईएसएम के लिए आरक्षित है।
		विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में <b>डाफ्ट्समैन यांत्रिक</b> में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	

### 1. आयु सीमा एवं छूट:

- क. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः 18 वर्ष एवं 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ दिव्यांगजन (पीडब्लूबीडी) स्थिति अथवा शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु सीमा में छूट आदि जैसे अन्य किसी लाभ (जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट न हो) के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **19-06-2026** होगी।
- ख. भारत सरकार/ सीएसआईआर के प्रचलित नियमों/ दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से परे अनुमत आयु में छूट
1.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ.जा./ अ.ज.जा.)	05 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग – गैर-क्रीमी लेयर (अ.पि.व. -एनसीएल)	03 वर्ष
3.	दिव्यांगजन (अना.)	10 वर्ष
4.	दिव्यांगजन (अ.पि.व.)	13 वर्ष
5.	दिव्यांगजन (अ.जा./ अ.ज.जा.)	15 वर्ष
6.	विभागीय उम्मीदवार (सीएसआईआर परिषद् के कर्मचारी)/ सरकारी विभाग/ स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारी	05 वर्ष
7.	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/ सामान्य)	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधित आदेशों के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वास्तविक आयु में से किए गए वास्तविक सैन्य सेवा अवधि की कटौती करने के बाद <b>3 वर्ष</b> की अतिरिक्त छूट होगी।
8.	पूर्व सैनिक (अ.पि.व./ अ.जा./ अ.ज.जा.)	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधित आदेशों के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वास्तविक आयु में से किए गए वास्तविक सैन्य सेवा अवधि की कटौती करने के बाद

		क्रमशः 6/ 8/ 8 वर्षों की अतिरिक्त छूट होगी।
<b>ग्रुप 'C' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुमत छूट</b>		
9.	विधवाएँ/ तलाकशुदा महिलाएँ/ विधिक रूप से अलग हुई महिलाएँ और जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो	35 वर्ष तक
10.	विधवाएँ/ तलाकशुदा महिलाएँ/ विधिक रूप से अलग हुई महिलाएँ और जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो (अ.पि.व.)	38 वर्ष तक
11.	विधवाएँ/ तलाकशुदा महिलाएँ/ विधिक रूप से अलग हुई महिलाएँ और जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो (अ.जा./ अ.ज.जा.)	40 वर्ष तक

- ग. अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) के उम्मीदवार जो सामान्य (यूआर) पदों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
- घ. अ.पि.व. आरक्षण के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि उसके पास जाति/ समुदाय प्रमाण पत्र हो और वह महत्वपूर्ण तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **19-06-2026** को क्रिमी लेयर में न आता हो। अ.पि.व. उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों के आधार पर होगी। अ.पि.व. उम्मीदवार क्रिमी लेयर से संबंधित नहीं होने चाहिए। उनकी उप-जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में दर्ज प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; यदि ऐसा नहीं है, तो उनका आवेदन किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत मान्य नहीं होगा और अन्यथा योग्य होने पर उन्हें सामान्य (यूआर) श्रेणी में माना जाएगा।
- ङ. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के संबंध में विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं, जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट (सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए 38 वर्ष तक) प्रदान की जाती है। इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाली महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:
- विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा इस आशय का शपथ-पत्र कि उसने उसके बाद पुनर्विवाह नहीं किया है।
  - तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पतियों से न्यायिक रूप से पृथक हुई महिलाओं के मामले में, तलाक अथवा न्यायिक पृथक्करण (जो भी लागू हो) को सिद्ध करने हेतु संबंधित सक्षम न्यायालय के निर्णय/ डिक्री की प्रमाणित प्रति। इसके अतिरिक्त, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में इस आशय का शपथ-पत्र कि उन्होंने उसके बाद पुनर्विवाह नहीं किया है।
- च. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt.(Res.) दिनांक 31.01.2019 तथा इस संबंध में भारत सरकार/ सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी अन्य लागू निर्देशों के अनुसार, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के समय विनियमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ईडब्लूएस अभ्यर्थियों द्वारा आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्णायक/ कट-ऑफ तिथि, उक्त पद हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। निर्णायक/ कट-ऑफ तिथि के पश्चात् तथा बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- छ. इसके अतिरिक्त, परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। उदाहरणतः, यदि किसी पद हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त, 2026 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-2026 होगा तथा प्रमाण-पत्र 2026-2027 के लिए वैध होगा।
- ज. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्लूबीडी) के लिए आरक्षण: (हॉरिजॉन्टल आरक्षण)
- भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि निर्णायक तिथि पर अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। श्रेणी A – दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टि; श्रेणी B – बधिर एवं

कम सुनने वाले; श्रेणी C –सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, ऐसिड हमले के पीड़ित व्यक्ति तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित गतिविषयक दिव्यांगता; श्रेणी D – ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रोग; श्रेणी E – बधिर/ दृष्टिहीनता सहित श्रेणी (A) से (D) के अंतर्गत आने वाली एकाधिक दिव्यांगताएँ। ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए उनकी आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट सहित अधिकतम 15 वर्ष की आयु छूट प्राप्त होगी। इसी प्रकार, अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) के अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी हेतु निर्धारित 3 वर्ष की आयु छूट सहित अधिकतम 13 वर्ष तक की आयु छूट प्राप्त होगी।

- ii. इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि शारीरिक दिव्यांगता की मात्रा 40% या उससे अधिक है। जिन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्लूबीडी) ने आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 18(1) के फॉर्म V, VI एवं VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिनांक 15.06.2017) प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (जिसे अब निरस्त किया जा चुका है) के अंतर्गत जारी किए गए वर्तमान दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, उसमें निर्दिष्ट अवधि तक वैध बने रहेंगे। किसी भी स्थिति में, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से भरे जाने वाले प्रत्येक अलग-अलग ग्रुप 'सी' पद के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सकीय फिटनेस मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने की शर्त के अधीन होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को कोई आवेदन शुल्क देय नहीं होगा।
- iii. दिव्यांग व्यक्तियों को आयु सीमा में दी जाने वाली छूट इस बात से निरपेक्ष रूप से अनुमन्य होगी कि वह पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि वह पद संबंधित दिव्यांगता श्रेणी के लिए उपयुक्त के रूप में चिह्नित किया गया हो।
- iv. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 18-25/ 2024-Policy, दिनांक 17.12.2025 के अनुसार:
  - a. अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावना वाली" के रूप में वर्गीकृत दिव्यांगता स्थितियाँ आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगी।
  - b. अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत "प्रगतिशील, अप्रगतिशील अथवा सुधार की संभावना नहीं होने वाली" के रूप में वर्गीकृत दिव्यांगता स्थितियाँ आरक्षण के लिए पात्र मानी जाएँगी।
- v. पीडब्लूबीडी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में अपनी जाति/ समुदाय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा, जैसे कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/ सामान्य/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा संबंधित जाति/ समुदाय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि यह हॉर्राईज़ॉन्टल आरक्षण है। पीडब्लूबीडी श्रेणी के अंतर्गत आने वाला कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा, जब वह आवेदित पदों के लिए शारीरिक एवं चिकित्सकीय मानकों (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक जाँच के उपरांत) की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- vi. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामलों में, प्रतिपूरक समय तथा लेखक (स्क्राइब)/ पैसेज डिक्टेटर संबंधी सुविधाएँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 34-02/ 2015-DD-III दिनांक 29.08.2018 एवं शुद्धिपत्र सं. 34-02/ 2015-DD-III (भाग) दिनांक 08.02.2019 के माध्यम से जारी निर्देशों, जिन्हें सीएसआईआर द्वारा दिनांक 15.03.2019 को पृष्ठांकित किया गया है, के अनुसार होंगी।

झ. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण: (हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण)

- i. भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा अवधि को घटाने के पश्चात् 03 (तीन) वर्ष की छूट उपलब्ध होगी।
- ii. वे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन हेतु प्रदान किए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए सरकार के अधीन सिविल पक्ष में ग्रुप 'सी एवं/ अथवा ग्रुप 'डी' पदों पर नियमित आधार पर पहले

ही नियुक्ति प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण तथा शुल्क में छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

- iii. तथापि, ऐसे अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक के रूप में आगामी रोजगार हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने प्रारंभिक सिविल सेवा में नियुक्ति ग्रहण करने के तुरंत पश्चात्, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/1/2014-Estt.(Res) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित नियोक्ता को उन विभिन्न रिक्तियों के लिए किए गए आवेदनों का तिथि-वार विवरण दर्शाते हुए स्व-घोषणा/ प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया हो, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नियुक्ति से पूर्व आवेदन किया था।
- iv. नियमों के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक की सशस्त्र बलों में की गई "कॉल-अप सेवा" की अवधि को भी आयु में छूट के प्रयोजन हेतु सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
- v. संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सेवारत कर्मी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक माना जाने हेतु यह आवश्यक होगा कि संबंधित पद/ सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय उसने पहले से ही भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो अथवा वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजी प्रमाण के माध्यम से यह सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों से निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- vi. "भूतपूर्व सैनिक" शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं एवं पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) तथा भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिनांक 27.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/ 3/ 2021-Estt.(Res.II) के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं: "सशस्त्र बलों में कार्यरत अभ्यर्थी तभी सिविल पदों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, जब वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती/ परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बलों में निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर लेते हों। तथापि, यदि चयन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक का समय लगता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के पश्चात् सशस्त्र बलों से कार्यमुक्ति प्राप्त की है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा।" ऐसे अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक नियमों के अनुसार निर्धारित प्रमाण-पत्र होना भी अनिवार्य होगा।
- vii. स्पष्टीकरण: "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है:
  - अ. जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक पर—चाहे उसने लड़ाकू (कॉम्बैटेंट) हो या गैर-लड़ाकू (नॉन-कॉम्बैटेंट)—सेवा की हो, तथा—(i) जिसने पेंशन अर्जित करने के पश्चात्, अपनी इच्छा से अथवा जिसे नियोक्ता द्वारा सेवा से सेवानिवृत्त, मुक्त अथवा पदमुक्त किया गया हो; अथवा (ii) जिसे सैन्य सेवा से संबंधित कारणों अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सकीय अथवा अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो; अथवा (iii) जिसे संगठन/ स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप सेवा से मुक्त किया गया हो; अथवा
  - आ. जिसे अपनी स्वयं की इच्छा के अतिरिक्त, अथवा दुराचार या अक्षमता के कारण बर्खास्त/ पदमुक्त नहीं, बल्कि निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् उक्त सेवा से मुक्त किया गया हो तथा ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो; तथा इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक अर्थात् निरंतर समाहित सेवा अथवा अर्हक सेवा की खंडित अवधियों के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मी भी सम्मिलित होंगे; अथवा
  - इ. सेना डाक सेवा के वे कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं तथा बिना अपनी मूल सेवा में प्रतिवर्तन किए, पेंशन सहित सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों; अथवा जिन्हें सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न हुई या बिगड़ गई स्थितियों के चलते चिकित्सा कारणों से या उनके

नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण उन्हें सेना डाक सेवा से मुक्त किया गया हो तथा जिन्हें चिकित्सकीय अथवा अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो; अथवा

- ई. वे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; अथवा
- उ. प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता; अथवा
- ऊ. चिकित्सकीय आधार पर सेवा से पृथक किए गए अथवा मुक्त किए गए तथा चिकित्सकीय दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व-नियुक्त कार्मिक। कोई मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित है जिसने भारतीय थल सेना का विशेष शैक्षणिक प्रमाण-पत्र अथवा नौसेना या वायु सेना का समकक्ष प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो), जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, केवल ईएसएम के लिए आरक्षित ग्रुप 'सी' पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। अतः वे मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 15 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, ऐसे पदों के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ऋ. भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों एवं आश्रितों के लिए आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं होगी।
- ज. अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-क्रीमी लेयर (अ.पि.व.- एनसीएल)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस)/ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्लूबीडी)/ भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की एक प्रति को ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर द्वारा सत्यापन हेतु माँगे जाने पर प्रस्तुत किए जाने होंगे। इन सभी प्रमाण-पत्रों की सत्यता स्थापित होने तक अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता/ नियुक्ति अस्थायी (प्रोविजनल) रहेगी।
- ट. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्लूबीडी)/ भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) कोटा के अंतर्गत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को, यथोचित रूप से, उनकी संबंधित श्रेणी—अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनारक्षित (यूआर) की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
- ठ. आयु सीमा में अन्य कोई भी छूट भारत सरकार/ सीएसआईआर की मौजूदा भर्ती नियमावली के अनुसार लागू होगी।

## 2. सामान्य सूचनाएँ एवं शर्तें

### I. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

- अ. इन पदों पर सामान्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) आदि, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य हैं तथा सीएसआईआर में लागू हैं, देय होंगे। परिषद के कर्मचारी सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली-2022 के अनुसार अपने पात्रता वर्ग के आवास हेतु भी पात्र होंगे।
- आ. प्रत्येक श्रेणी के पदों के समक्ष दर्शाए गए वेतन/ परिलब्धियों के अतिरिक्त, सीएसआईआर में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार नेशनल पेंशन प्रणाली, 2004, चिकित्सकीय व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, वाहन अग्रिम तथा गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ भी उपलब्ध होंगे।
- इ. सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत, सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों पर लागू सीमा तक, शासित होंगे। तथापि, अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित वे व्यक्ति, जिन पर भारत सरकार के पैटर्न पर पेंशन योजना लागू है, वे पूर्ववर्ती पेंशन योजना अर्थात् सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब-2021) के अंतर्गत ही शासित होते रहेंगे।
- ई. सामान्यतः नियुक्ति का स्थान सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, डिगवाडीह एवं धनबाद होगा, जिसमें इसके क्षेत्रीय केंद्र जैसे बिलासपुर, नागपुर, रांची, रुड़की एवं रानीगंज भी सम्मिलित हैं। तथापि, सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर नियुक्त कर्मचारी को भारत के किसी भी भाग में सीएसआईआर की

किसी भी प्रयोगशाला/ संस्थान में उनके फील्ड केंद्रों/ क्षेत्रीय केंद्रों सहित किसी भी अनुभाग/ प्रभाग में कार्य करने हेतु तैनात किया जा सकता है।

- उ. सीएसआईआर योग्य अभ्यर्थियों को मूल्यांकन पदोन्नति योजना के अंतर्गत करियर उन्नयन के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
- ऊ. उक्त पदों पर नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 (समय-समय पर संशोधित) तथा परिषद सेवक पर लागू किए गए अन्य सेवा नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में सीएसआईआर का निर्णय ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

## II. अन्य शर्तें/ जानकारीयाँ:

- क. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ख. सभी आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् **19-06-2026** को पद हेतु निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं तथा विज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम-से-कम अनिवार्य योग्यताओं को धारण करते हैं। पात्रता के संबंध में परामर्श माँगने हेतु किसी भी प्रकार की पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ग. आवेदक को निर्देशों को भली-भाँति पढ़ने के पश्चात् ही सभी प्रासंगिक जानकारीयों एवं स्कैन की गई फोटो, हस्ताक्षर एवं संबंधित दस्तावेजों सहित विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से ही प्राप्त होनी चाहिए। अपूर्ण आवेदन/ या आवश्यक प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।
- घ. अनिवार्य योग्यताओं में उल्लिखित समकक्ष उपबंध के संदर्भ में, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा करता है, तो उसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उस आदेश/ पत्र (जिसमें प्राधिकारी का विवरण, संदर्भ संख्या एवं तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो) को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें उक्त विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के समान माना गया हो, अन्यथा आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- ङ. जहाँ कहीं किसी विषय/ कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि निर्धारित की गई हो, वहाँ उस ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के पश्चात् की अनुभव अवधि ही मान्य होगी। अंशकालिक, दैनिक मजदूरी आधार पर अथवा विज़िटिंग/ गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित अनुभव को पद हेतु वैध अनुभव की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- च. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं तथा केवल इन्हें धारण करना ही अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट हेतु बुलाए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपने स्वयं के मापदंड अपनाएगी। अतः अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में न्यूनतम निर्धारित योग्यता से अधिक, संबंधित क्षेत्र में प्राप्त सभी योग्यताओं एवं अनुभव का उल्लेख करना चाहिए तथा **10वीं** कक्षा से आगे के सभी दस्तावेज प्रमाण स्वरूप अपलोड करने चाहिए। यदि आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी और अपलोड किए गए प्रमाण-पत्रों/ प्रशंसापत्रों आदि के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी का आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उस अभ्यर्थी को इस संस्थान में आगे किसी भी प्रकार का आवेदन करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- छ. यदि प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी दस्तावेज़/ प्रमाण-पत्र हिंदी या अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाषा में है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उसकी हिंदी अथवा अंग्रेज़ी भाषा में अनुदित प्रतिलिपि को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ज. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्मतिथि तथा मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को ही आयु निर्धारण हेतु सीएसआईआर द्वारा मान्य किया जाएगा तथा बाद में जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा। जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल / उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र अथवा जन्म पंजी से उद्धरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- झ. उम्मीदवार को ट्रेड/ प्रतियोगी लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।
- ञ. चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान अन्य किसी संस्था में अथवा सीएसआईआर/ सिम्फर में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, और यदि उन्होंने पहले से ही किसी अन्य संस्था में किसी पद के लिए आवेदन किया हुआ है, तो उन्हें इस संस्थान में नियुक्ति होने के तुरंत बाद ही ऐसे आवेदन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना पड़ेगा।
- ट. सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-सिम्फर इस विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों में संशोधन करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार रखते हैं।
- ठ. चयनित उम्मीदवार अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- ड. पात्रता, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना, चयन पद्धति और परीक्षा का संचालन जैसे सभी मामलों में सीएसआईआर-सिम्फर, धनबाद का निर्णय ही उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। संस्थान के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि परिस्थितियों की ऐसा मांग हो तो किसी भी विज्ञापित पद/ पदों को नहीं भी भरा जा सकता है। इस संबंध में किसी भी उम्मीदवार की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी के पूछताछ या पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- ढ. किसी भी प्रकार का कैनवसिंग करना और/ या राजनीतिक या अन्य किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना इस पद के लिए अयोग्यता के रूप में माना जाएगा।
- ण. अनुभव दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों में अनुभव की अवधि दिन/ महीना/ साल के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए।
- त. ऊपर दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या वास्तविक चयन के समय बढ़ या घट सकती है। चयन प्रक्रिया उस समय के सीएसआईआर/ भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विभिन्न चयन चरणों में लागू होगी।
- थ. आवेदकों को आवेदन पत्र में यह खुलासा करना अनिवार्य है कि क्या उनके किसी निकट या रक्त संबंधी सीएसआईआर-सिम्फर, सीएसआईआर या सीएसआईआर के किसी अन्य प्रयोगशाला/ संस्थान में कर्मचारी हैं।
- द. किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ध. कोई भी परिशिष्ट/ शुद्धि-पत्र/ सूचना केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in) पर ही प्रकाशित की जाएगी।
- न. **यदि इस विज्ञापन के अंग्रेज़ी संस्करण और उसके हिंदी अनुवाद में कोई अंतर हो, तो अंग्रेज़ी संस्करण को मान्यता दी जाएगी।**

### 3. चयन प्रक्रिया:

- क. इस उद्देश्य के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित किए जाने वाले उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में तीन पेपर (पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III) होंगे। पेपर-II और पेपर-III का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर-I में न्यूनतम अंक (जो चयन समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे) प्राप्त करेंगे। अंतिम मेरिट सूची केवल पेपर-II और पेपर-III में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी।
- ख. संबंधित ट्रेडों के ट्रेड टेस्टों और प्रतियोगी लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम समय आने पर संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in) पर सूचित कर दिए जाएंगे।
- क. लिखित परीक्षा (जिसमें मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेज़ी भाषा और संबंधित विषय से संबंधित तीन पेपर शामिल होंगे) के लिए संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:-

### प्रतियोगी लिखित परीक्षा की स्कीम:

परीक्षा पद्धति	ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर, सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सेट किए जाएंगे।
परीक्षा का स्तर	एसएससी + आईटीआई/ बारहवीं कक्षा
प्रश्नों की कुल संख्या	150
कुल आबंटित समय	2 घंटे 30 मिनट

#### पेपर-I (आबंटित समय - 1 घंटा)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नेगेटिव अंक
मेंटल एबिलिटी टेस्ट (जिसमें जेनरल इंटेलिजेंस, क्वॉंटिटेटिव ऐप्लीकेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट आदि शामिल हैं)	50	100 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक)	इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

#### पेपर-II (आबंटित समय - 30 मिनट)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नेगेटिव अंक
सामान्य ज्ञान	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	हर गलत जवाब के लिए एक नेगेटिव मार्क।
अंग्रेजी भाषा	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	हर गलत जवाब के लिए एक नेगेटिव मार्क।

#### पेपर-III (आबंटित समय - 1 घंटा)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नेगेटिव अंक
संबंधित विषय*	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	हर गलत जवाब के लिए एक नेगेटिव मार्क।

\* संबंधित विषय पद के लिए विज्ञापित की गई योग्यता पर आधारित है।

- अंतिम मेरिट सूची केवल उम्मीदवारों द्वारा पेपर-II और पेपर-III में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में समानता (Tie) होने की स्थिति में, सीएसआईआर के परिपत्र पत्र संख्या 5-1(211)/2014-PD दिनांक 30.05.2023 के अनुसार, निम्नलिखित मानदंडों को नीचे दिए गए वरीयता क्रम में लागू करते हुए मेरिट निर्धारित की जाएगी, जब तक कि समानता समाप्त न हो जाए:
  - i. संबंधित विषय/ट्रेड के प्रश्नपत्रों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
  - ii. लिखित परीक्षा के उन प्रश्नपत्रों में (जिन्हें मेरिट तैयार करने हेतु विचार किया गया है) कम ऋणात्मक अंक (Negative Marks), यदि लागू हो, प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।

- ii. लिखित परीक्षा के उन प्रश्नपत्रों में (जिन्हें मेरिट तैयार करने हेतु विचार किया गया है) कम ऋणात्मक अंक (Negative Marks), यदि लागू हो, प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
  - iii. जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
  - iv. आवश्यक डिग्री पहले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
  - v. अभ्यर्थियों के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी।
- उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट और लिखित परीक्षा की तिथि, समय और स्थान उपयुक्त समय पर सीएसआईआर-सिम्फर की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएगी।

#### 4. आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही **20-05-2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 19-06-2026 (सायं 05:00 बजे)** तक आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) जमा करने की अंतिम तिथि: **19-06-2026 (सायं 05:00 बजे)**

#### क. आवेदन पंजीकरण

- i. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट [cimfr.res.in/applyonline](http://cimfr.res.in/applyonline) या [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in) पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- ii. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- iii. उम्मीदवारों को अपने हित में अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक भार होने के कारण डिस्कनेक्शन / लॉगिन न हो पाने / असफलता जैसी समस्याओं से बचा जा सके। उपरोक्त कारणों अथवा CSIR-CIMFR के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से यदि उम्मीदवार अंतिम तिथि तक आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए CSIR-CIMFR उत्तरदायी नहीं होगा।
- iv. उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने हेतु अपने ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। यदि उम्मीदवार के पास वैध ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे आवेदन से पूर्व नया वैध ई-मेल आईडी बनाना होगा। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में अपना सही एवं सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल नंबर भरें, क्योंकि CSIR-CIMFR द्वारा संचार इन्हीं माध्यमों से किया जा सकता है। पंजीकृत ई-मेल भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रहना चाहिए।
- v. सफल पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर लॉगिन करना होगा तथा प्राथमिक पंजीकरण विवरण भरना होगा। प्राथमिक विवरण भरने के बाद उम्मीदवार विवरण की जाँच/संशोधन कर सकता है ताकि आवेदन पूर्ण एवं सही हो। एक बार जमा किए गए प्राथमिक विवरण में बाद में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद उम्मीदवार पोस्ट कोड का चयन कर संबंधित पद हेतु आवेदन कर सकता है। उम्मीदवार शैक्षणिक एवं रोजगार संबंधी विवरण भरकर सभी आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करेगा। अंतिम जमा करने से पूर्व उम्मीदवार आवेदन की पुनः जाँच कर सकता है। आवेदन शुल्क (जहाँ लागू हो) निर्धारित लिंक के माध्यम से जमा कर उसका प्रमाण अपलोड करना होगा। अंततः सभी सहायक दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- vi. सरकारी विभागों में नियमित/स्थायी पद पर कार्यरत आवेदकों पर तभी विचार किया जाएगा जब उनका आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया हो। ऐसे उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)" ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। दस्तावेज सत्यापन अथवा मांग किए जाने पर मूल NOC प्रस्तुत करना अनिवार्य

- होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। CSIR-CIMFR प्रतिनियुक्ति अथवा ग्रहणाधिकार के आधार पर किसी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेगा।
- vii. जिन बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI आदि प्रदान किए जाते हैं, उम्मीदवारों को उन्हें अपने बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। संबंधित रूपांतरण सूत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करनी होगी।
  - viii. उम्मीदवारों को ₹500/- आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जहाँ लागू हो, ₹500/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क SBI Collect के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के भुगतान पर लगने वाले बैंक लेनदेन शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे। ऑनलाइन भुगतान का लिंक CSIR-CIMFR वेबसाइट/ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-रसीद/चालान की स्कैन प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। निर्धारित शुल्क (जहाँ लागू हो) के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को भविष्य हेतु इसकी प्रति सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।
  - ix. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/PwBD/महिला/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
  - x. उम्मीदवार एक से अधिक पोस्ट कोड हेतु आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे प्रत्येक पद हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड पूर्ण करते हों। तथापि प्रत्येक पोस्ट कोड हेतु अलग-अलग आवेदन (प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर) एवं पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
  - xi. प्रत्येक पोस्ट कोड हेतु एक उम्मीदवार का केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक ही पोस्ट कोड हेतु विभिन्न ई-मेल आईडी से अनेक आवेदन जमा करता है, तो केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा अन्य आवेदन हेतु जमा आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
  - xii. अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा निरस्त कर दिए जाएंगे। अतः उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है।
  - xiii. ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच के अधीन "अस्थायी रूप से स्वीकार" किया जाएगा।
  - xiv. उम्मीदवार अपने अभिलेख हेतु आवेदन प्रिंटआउट एवं भुगतान विवरण सुरक्षित रखें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ये उपलब्ध नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी CSIR-CIMFR को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
  - xv. किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन (जैसे फोटो रहित, हस्ताक्षर रहित, शुल्क अथवा संलग्नकों के बिना आवेदन आदि) स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे।
  - xvi. ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर उम्मीदवार [racell.cimfr@csir.res.in](mailto:racell.cimfr@csir.res.in) पर ई-मेल कर सकते हैं। अंतिम समय की भीड़ से बचने हेतु उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यथाशीघ्र ऑनलाइन शुल्क (यदि लागू हो) जमा कर आवेदन करें। इस प्रक्रिया से संबंधित सभी आगामी घोषणाएँ/अपडेट/शुद्धिपत्र/परिशिष्ट आदि केवल CSIR-CIMFR की आधिकारिक वेबसाइट CSIR-CIMFR Official Website पर समय-समय पर प्रकाशित किए जाएंगे।

### आवेदन शुल्क (₹500/-) जमा करने की प्रक्रिया

- क. SBI Collect पोर्टल पर जाएँ:  
<https://onlinesbi.sbi.bank.in/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=377003>
- ख. SBI Collect पेज पर जाने के उपरांत के बाद भुगतान श्रेणी में "Recruitment Application Fee" का चयन करें।
- ग. आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें:
  - आवेदन का प्रकार : **For Regular Recruitment**
  - उम्मीदवार का नाम
  - पता
  - विज्ञापन संख्या
  - पोस्ट कोड
  - अन्य अनिवार्य विवरण

- घ. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ₹500/- का भुगतान पूरा करें।  
ङ. सफल भुगतान के बाद ई-रसीद/भुगतान पुष्टि डाउनलोड कर भविष्य हेतु सुरक्षित रखें। भुगतान विवरण आवेदन पत्र में भी दर्ज करना होगा तथा ई-रसीद को दस्तावेज अपलोड अनुभाग में अपलोड करना होगा।

**ख. ऑनलाइन आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की चिह्नांकन-सूची**

- i. ₹500/- आवेदन शुल्क की SBI Collect ई-रसीद/लेनदेन संदर्भ की मुद्रित प्रति (जहाँ लागू हो)।
- ii. नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर अपलोड किया हुआ।
- iii. उम्मीदवार के हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड किए हुए।
- iv. SSC/10वीं कक्षा अथवा समकक्ष अंकपत्र/प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अथवा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
- v. नाम परिवर्तन/नाम में असमानता/उम्मीदवार या अभिभावकों के नाम में भिन्नता के समर्थन में राजपत्र अधिसूचना/शपथपत्र (यदि लागू हो)।
- vi. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं उच्चतर योग्यता के समर्थन में शैक्षणिक प्रमाणपत्र एवं/अथवा अंकपत्र।
- vii. प्रासंगिक अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ (यदि कोई हो)।
- viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/PwBD प्रमाणपत्र की प्रति, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, यदि लागू हो।
- ix. OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों द्वारा "घोषणा प्रपत्र" की प्रति, जिसमें यह प्रमाणित हो कि वे पिछली तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर OBC (क्रीमी लेयर) श्रेणी में नहीं आते।
- x. CSIR/सरकारी संगठन/स्वायत्त निकाय/वैधानिक निकाय/विश्वविद्यालय/PSU आदि में नियमित/स्थायी रूप से कार्यरत उम्मीदवारों हेतु नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)" की प्रति।
- xi. आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हों।

- नोट 1 : अपलोड किए गए दस्तावेज/प्रमाणपत्र स्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिए।  
नोट 2 : आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन अपूर्ण माना जाएगा तथा सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।  
नोट 3 : उम्मीदवारों को उपयुक्त समय पर मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं-सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।  
नोट 4 : पात्रता, आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने तथा ट्रेड टेस्ट/लिखित परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

ह/-

प्रशासन नियंत्रक

**सीएसआईआर/ सरकारी संस्थाओं/ स्वायत्त निकायों/ वैधानिक निकायों/ विश्वविद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में वर्तमान में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी के नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' का प्रारूप**

(संस्था/ जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र-शीर्ष)

सं. ....

दिनांक: [दिन/ माह/ वर्ष]

**विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] के लिए आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./ श्री/ सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/ संस्था के/ की स्थायी/ नियमित कर्मचारी हैं तथा [उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि] से [वर्तमान पद] के रूप में सेवाएँ प्रदान कर रहे/ रही हैं।

इस विभाग/ संस्था को विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] दिनांक [विज्ञापन दिनांक] के अंतर्गत [पद कोड/ पदनाम] पद के लिए उनके आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/ संस्था को डॉ./ श्री/ सुश्री [कर्मचारी का नाम] के नए पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने अथवा विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./ श्री/ सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] को वर्तमान में लागू आचरण नियमों के अंतर्गत कोई भी शास्ति प्राप्त नहीं है तथा इस प्रमाण-पत्र के जारी करने की तिथि तक न ही वह निलंबन के अधीन है और न ही उनके विरुद्ध कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक अथवा आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण-पत्र आवेदक के अनुरोध पर उक्त विज्ञापन के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है।

स्थान : .....

[विभाग/ संगठन का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/ सील]

[संपर्क जानकारी]

[विभाग/ संस्था का पता]

आयु सीमा में छूट का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(संस्था/ जारीकर्ता प्राधिकरण का पत्र-शीर्ष)

सं.....

दिनांक: [दिन/ माह/वर्ष]

विज्ञापन संख्या के लिए आवेदन करने हेतु आयु में छूट का दावा करने संबंधी प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./ श्री/ सुश्री ....., सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी श्री ..... (संस्थान का नाम) के/ की नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं तथा उनके द्वारा इन अवधि(यों) के दौरान किए गए कार्य निम्न प्रकार हैं :

- क. ....  
ख. ....  
ग. ....

प्रमाणित किया जाता है कि:

\* (क) डॉ./ श्री/ सुश्री ..... दिनांक ..... से ..... तक ..... (संस्थान का नाम) में वास्तविक रूप से ..... के स्थायी पद पर कार्यरत हैं।

अथवा

\* (ख) डॉ./ श्री/ सुश्री ..... दिनांक ..... से ..... तक ..... (संस्थान का नाम) में नियमित आधार पर ..... के अस्थायी पद पर कार्यरत हैं।

\* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

स्थान : .....

[संस्थान का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/ सील]

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी\* ....., पुत्र/ पुत्री\* ....., ग्राम/ नगर\* ....., जिला/ मंडल\* ....., राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र\* ..... के ..... जाति/ जनजाति\* से संबंधित हैं, जिसे निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

- @संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- @संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- @संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
- @अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

\*2. यह उन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लागू है जो एक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण-पत्र उस अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो श्री/ श्रीमती/ कुमारी\* ..... के पिता/ माता श्री/ श्रीमती ....., जो

कि.....राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश\* के ....., जिले/ मंडल\* के  
..... गाँव/ कस्बे/ इलाके\*\* के निवासी हैं, को जारी किया गया था और जो उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश\*  
में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त जाति/ जनजाति\* के अंतर्गत आते हैं। मूल प्रमाण-पत्र  
..... द्वारा दिनांक .....\* को जारी किया गया था।

%3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी\* ..... और/ या उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/ नगर\*  
....., जिला/ मंडल\* ....., राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश\*  
..... में निवास करता है।

हस्ताक्षर.....

\*\*पदनाम.....।

(कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश \*

स्थान : .....

दिनांक : .....

\* जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही-अर्थ होगा, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

\*\* अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- क. जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट रैंक के नीचे के न हो।
- ख. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- ग. राजस्व अधिकारी जोतहसीलदार रैंक के नीचे के न हो।
- घ. उस क्षेत्र का सब-डिविज़नल अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी तथा/ अथवा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
- ङ. प्रशासक/ विकास अधिकारी प्रशासक के सचिव/ (लक्षद्वीप)।

**टिप्पणी:**

तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।

**भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग  
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....., सुपुत्र/ सुपुत्री  
....., जो ग्राम/ नगर ....., जिला/ मंडल  
..... का/ की निवासी हैं, ..... समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत  
सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. .... दिनांक  
..... \* के अंतर्गत एक पिछड़ी श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/ श्रीमती/ कुमारी  
..... तथा/ अथवा उनका परिवार सामान्यतः ..... राज्य/ केंद्र शासित  
प्रदेश के ..... जिले/ मंडल में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक  
एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 08 सितंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/ 22/ 93-स्था.(एससीटी),  
दिनांक 09 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/ 3/ 2004-स्था.(आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय  
ज्ञापन सं. 36033/ 3/ 2004-स्था.(आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/ 1/ 2013-  
स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।\*\*

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_ \$

दिनांक:

मुहर

\* प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संबंधित संकल्प का विवरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

\*\* समय-समय पर यथासंशोधित

\$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची वही होगी, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत हैं।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त "सामान्यतः" शब्द का वही अर्थ होगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निर्धारित है।

**‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा प्रपत्र**

(समुदाय प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त)

मैं, ....., सुपुत्र/ सुपुत्री श्री/ श्रीमती....., निवासी ग्राम/ नगर/ शहर  
 ....., जिला ....., राज्य ..... एतद् द्वारा  
 यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं ..... समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक  
 08.09.1993 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36102/ 22/ 93-स्था.(एससीटी) में निहित आदेशों के  
 अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/ करती  
 हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3, दिनांक 09 मार्च 2004 के कार्यालय  
 ज्ञापन सं. 36033/ 3/ 2004-स्था.(आरक्षण) एवं दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/ 3/ 2004-स्था.  
 (आरक्षण) एवं समय-समय पर यथासंशोधित ज्ञापनों में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमी लेयर) में नहीं आता/ आती हूँ।  
 मैं यह भी बताता/ बताती हूँ कि मेरे माता-पिता/ गार्जियन की क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के लिए अवस्था/ वार्षिक आय  
 की स्थिति आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर हैं।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पूरा नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

फॉर्म -V

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

(अंग-विच्छेदन अथवा अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनापन तथा दृष्टिहीनता के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग व्यक्ति के हाल ही के पासपोर्ट आकार का सत्यापित (केवल चेहरा दर्शाने वाला) फोटोग्राफ

प्रमाणपत्र सं.

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री श्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि (दिन/ माह/ वर्ष) \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/ महिला \_\_\_\_\_, पंजीकरण सं. \_\_\_\_\_, स्थायी निवासी, मकान संख्या \_\_\_\_\_, वार्ड/ ग्राम/ सड़क \_\_\_\_\_, डाकघर \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_, राज्य \_\_\_\_\_, जिनका फोटो उपरोक्त चिपकाया गया है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि वे:

(क)

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- दृष्टिहीनता

से पीड़ित हैं। - (कृपया लागू विकल्प पर टिक करें)

(ख) उनके मामले में निदान \_\_\_\_\_ है।

(ग) दिशा-निर्देश ( \_\_\_\_\_ यहाँ दिशा-निर्देश की संख्या एवं दिनांक को निर्दिष्ट करें) के अनुसार उनके शरीर के \_\_\_\_\_ (भाग) का \_\_\_\_\_ % (अंकों में) \_\_\_\_\_ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/ बौनापन/ दृष्टिहीनता से पीड़ित है।

2. आवेदक द्वारा आवास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:-

दस्तावेज़ का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(प्रमाणित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर/ सील)

जिस व्यक्ति के पक्ष में यह दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

फॉर्म - VI

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

(एकाधिक दिव्यांगताओं के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग व्यक्ति के हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित (केवल चेहरा दर्शाने वाला) फोटोग्राफ

प्रमाण-पत्र सं. :

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री ..... के पुत्र/ पत्नी/ पुत्री, श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....., जन्म तिथि (दिन/ माह/ वर्ष), आयु ..... वर्ष, पुरुष/ महिला ....., पंजीकरण सं. ...., मकान संख्या ....., वार्ड/ ग्राम/ सड़क ....., डाकघर ....., जिला ....., राज्य ..... की स्थायी निवासी, जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया और हम संतुष्ट हैं कि:

क. वह एकाधिक दिव्यांगताओं के/ की शिकार हैं। उनकी स्थायी शारीरिक अपंगता/ दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देश (..... संख्या एवं जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है, और यह नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्रमांक	दिव्यांगता	प्रभावित शरीर का भाग	रोग-निदान	स्थायी शारीरिक/ मानसिक विकलांगता (प्रतिशत में)
1.	गतिविषयक दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	कुष्ठ रोग उपचारित			
4.	बौनापन			
5.	सेरेब्रल पाल्सी			
6.	ऐसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण में कठिनाई	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			

12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट सीख दिव्यांगता			
14.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	चिरकालिक तंत्रिका दशाएँ			
17.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18.	पार्किंसंस रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसेमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

ख. उपरोक्त के संदर्भ में, उनके/ उनकी स्थायी शारीरिक अपंगता का समग्र मूल्यांकन, दिशा-निर्देश (..... संख्या एवं जारी करने की तिथि) के अनुसार, निम्नलिखित है :-

अंकों में: \_\_\_\_\_ %

शब्दों में: \_\_\_\_\_ प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/ अप्रगतिशील/ सुधार की संभावना है/ नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) ..... वर्ष ..... माह के पश्चात अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाण-पत्र ..... (दिन)/ (माह)/ (वर्ष) तक ही मान्य रहेगा।

@ उदाहरण के तौर पर - बायाँ/ दायाँ/ दोनों हाथ/ पैर  
# उदाहरण के तौर पर - एक आँख  
£ उदाहरण के तौर पर - बायाँ/ दायाँ/ दोनों कान

4. आवेदक द्वारा निवास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:-

दस्तावेज़ का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर।

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

जिस व्यक्ति के पक्ष में यह दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

## फॉर्म - VII

## दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा दूसरे मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग व्यक्ति के  
हाल ही का पासपोर्ट  
आकार का  
सत्यापित (केवल  
चेहरा दर्शाने वाला)  
फोटोग्राफ

प्रमाण-पत्र सं.

दिनांक :

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_  
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री \_\_\_\_\_ जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष)  
\_\_\_\_\_, आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/ महिला, पंजीकरण सं.  
\_\_\_\_\_, स्थायी निवासी — आवास सं. \_\_\_\_\_, वार्ड/ ग्राम/  
सड़क \_\_\_\_\_, डाकघर \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_, राज्य  
\_\_\_\_\_, जिसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है, की सावधानीपूर्वक चिकित्सीय जाँच की और जाँचोपरांत यह  
पाया गया है कि उक्त व्यक्ति \_\_\_\_\_ दिव्यांगता से ग्रस्त है। उनकी स्थायी शारीरिक अपंगता/  
दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देश (निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है, और यह नीचे दी गई सारणी  
में संबंधित दिव्यांगता के समक्ष दर्शाया गया है:

क्रमांक	दिव्यांगता	प्रभावित शरीर का भाग	निदान	स्थायी शारीरिक/ मानसिक विकलांगता (% में)
1.	गतिविषयक दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	कुष्ठ रोग उपचारित			
4.	सेरेब्रल पाल्सी			
5.	ऐसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति			
6.	न्यून दृष्टि	#		
7.	बधिर	£		
8.	श्रवण में कठिनाई	£		
9.	वाक् एवं भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट सीख दिव्यांगता			

12.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक रोग			
14.	चिरकालिक तंत्रिका दशाएँ			
15.	मल्टिपल स्क्लेरोसिस			
16.	पार्किंसंस रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो दिव्यांगता लागू नहीं है, उसे काट दें।)

- यह स्थिति प्रगतिशील/ अप्रगतिशील/ सुधार की संभावना है/ नहीं है।
- दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:
  - आवश्यक नहीं है, या
  - ..... वर्ष ..... माह के पश्चात अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाण-पत्र ..... (दिन)/ (माह)/ (वर्ष) तक ही मान्य रहेगा।
    - @ उदाहरण के तौर पर - बायाँ/ दायाँ/ दोनों हाथ/ पैर
    - # उदाहरण के तौर पर - एक आँख
    - £ उदाहरण के तौर पर - बायाँ/ दायाँ/ दोनों कान
- आवेदक द्वारा निवास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:-

दस्तावेज़ का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
(नाम एवं मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख का (मुहर सहित) प्रतिहस्ताक्षर, यदि प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो सरकारी सेवक नहीं है)

जिस व्यक्ति के पक्ष में यह दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट: यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है, तो यह केवल उसी स्थिति में वैध होगा जब इस पर संबंधित ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

**विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्लूडी), 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, के लिए प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती ..... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/ पुत्री ..... , जो ..... (ग्राम/ डाकघर/ थाना/ जिला/ राज्य) का/ की निवासी है, उम्र ..... वर्ष एवं ..... (दिव्यांगता/ स्थिति की प्रकृति) से ग्रसित है, की जांच की है और जांच के उपरांत यह पाया गया है कि उपर्युक्त दिव्यांगता/ स्थिति के कारण उन्हें लिखने में कठिनाई होती है। अतः उन्हें लिखित परीक्षा के दौरान लेखक (स्क्राइब) की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (उपकरण का नाम उल्लेखित किया जाए) जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो कि उनके लिए लेखक (स्क्राइब) की सहायता के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है।

3. इस प्रमाण-पत्र को केवल भर्ती एजेंसियों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जा रहा है तथा यह \_\_\_\_\_ तक वैध (यह चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अवधि के अनुसार अधिकतम छह माह अथवा उससे कम अवधि के लिए ही मान्य) रहेगा।

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/ पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ रिहैबिलिटेशन मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ऑक्ज्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम एवं आधिकारिक मुहर

स्थान:

दिनांक:


सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार  
(नंबर) \_\_\_\_\_ (रैंक) \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)  
कार्यालय की मुहर

स्थान:

दिनांक:



**भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता**

मैं, ....., अनुक्रमांक ....., परीक्षा, 20..... के लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होते हुए, एतद्वारा यह वचन देता/ देती हूँ कि:

- क. मैं समय-समय पर यथासंशोधित पूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के निबंधनों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभों का पात्र हूँ।
- ख. मैंने पुनर्नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिकों को प्रदत्त आरक्षण का लाभ उठाने के बाद सिविल पक्ष (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सम्मिलित हैं) में ग्रुप 'सी' और 'डी' के पदों पर नियमित रूप से कोई सरकारी सेवा नहीं की है; अथवा
- ग. मैंने सिविल पक्ष में सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में उक्त आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ..... को ..... पद पर ..... कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा यह वचन देता/ देती हूँ कि वर्तमान सिविल सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही मैंने अपने वर्तमान नियोक्ता को उपर्युक्त परीक्षा हेतु मेरे द्वारा किए गए आवेदन के दिनांकवार विवरण के संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुत कर दिया है; अथवा
- घ. मैंने सिविल पक्ष में सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में उक्त आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ..... को ..... पद पर ..... कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। अतः मैं केवल आयु सीमा में ही छूट का/ की पात्र हूँ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। मैं समझता/ समझती हूँ कि यदि किसी भी स्तर भी मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मेरी अभ्यर्थिता/ नियुक्ति निरस्त/ समाप्त कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

रोल नंबर/ अनुक्रमांक : .....

दिनांक : .....

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि : .....

सेवा निवृत्ति की तिथि : .....

अंतिम इकाई/ कॉर्प : .....

मोबाइल नंबर : .....

ईमेल आईडी : .....



सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान  
CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MINING AND FUEL RESEARCH  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)  
(Council of Scientific & Industrial Research)  
बरवा रोड, धनबाद-826001 (झारखण्ड)  
BARWA ROAD, DHANBAD- 826 001 (JHARKHAND)  
(Website: [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in))



**Advertisement No. :- CIMFR- 02/2026**

**Commencement of Online**

**20-05-2026 at 10:00 AM**

**Application:**

**Last date of submission of Online**

**19-06-2026 at 05:00 PM**

**Application:**

**CSIR-CIMFR strives to have a workforce that reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply.**

CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research (CIMFR), Dhanbad, a constituent laboratory under the aegis of Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi aims to provide R&D inputs for the entire coal-energy chain encompassing exploration, mining and utilization. The laboratory also strives to develop mineral based industries to reach the targeted production for country's energy security and growth with high standards of safety, economy and cleaner environment. In view of the National Missions recently declared by the Government of India, CSIR-CIMFR has re-aligned its vision, missions and policies and also redefined targets for short and long terms. This would promote rapid sustainable national techno-economic growth with equal emphasis on self-sustenance. CSIR-CIMFR is located in the town of Dhanbad, known as coal capital of India located in the state of Jharkhand. It is strategically situated in the Damodar basin of Eastern part of the country which is endowed with rich coal deposits and hosts several large mineral based industries.

The Institute is looking for dynamic and creative Technicians in various trades for Dhanbad (Digwadih and Barwa Road) (Jharkhand) and its Research Centres at Bilaspur (Chhattisgarh), Nagpur (Maharashtra), Ranchi (Jharkhand), Roorkee (Uttarakhand) and Raniganj (West Bengal). The candidates fulfilling the educational qualification, age etc. may apply online ([click here to apply online](#)) for the following positions at the Institute website.

CSIR-CIMFR invites online application from suitably qualified, dynamic, result-oriented and dedicated Indian citizens for the following positions:

Designation	No. of Posts & Reservation	Scale of Pay as per 7th CPC	Total Emoluments (As per 7 <sup>th</sup> CPC)	Upper Age Limit not exceeding (as on the last date of submission of application as mentioned in the advt.)
Technician- 1 Group- II (1)	30 (including PwBD: 02 & ESM: 03) {UR: 10, EWS: 05, OBC: 02, SC: 02, ST: 11, PwBD: 02 (one each HH & VH with low vision) & ESM: 03}	Level-2 (Rs. 19,900-63,200)	Rs. 37,000/-PM* [approximately]	28 Years**

\*Total Emoluments means approximate total emoluments per month in the minimum of scale including House Rent Allowance as admissible in Dhanbad.

\*\*Please see details of age relaxation under Age limit & Relaxation Column.

Abbreviations used: UR - Unreserved, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC(NCL) - Other Backward Class (Non-Creamy Layer), EWS - Economically Weaker Section, PwBD- Persons with Benchmark Disabilities, HH - Deaf and Hard of Hearing, VH –Visually Handicaped with Low Vision, ESM- Ex-Servicemen.

**Essential Qualifications in respect of Technician-1/Gr.-II (1) posts is/are as under:-**

POST CODE	Discipline / Area	Essential Qualification	No. of Posts with Category
2026/001	INSTRUMENT MECHANICS	SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>INSTRUMENT MECHANICS</b> from a recognized institution. OR SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>INSTRUMENT MECHANICS</b> from a recognized institution. OR SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>INSTRUMENT MECHANICS</b> in a Ministry / Department/ Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.	03 (UR: 01, EWS: 01 & ST: 01)
2026/002	SURVEY/SURVEYOR/SURVEYING	SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>SURVEY/ SURVEYOR/ SURVEYING</b> from a recognized institution. OR SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>SURVEY/ SURVEYOR/ SURVEYING</b> from a recognized institution. OR SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>SURVEY/ SURVEYOR/ SURVEYING</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.	03 (UR: 01, EWS: 01 & ST: 01)
2026/003	FITTER	SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>FITTER</b> from a recognized institution. OR SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>FITTER</b> from a recognized institution. OR SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>FITTER</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.	05 (UR: 02, SC: 01 & ST: 02)  Out of above, one post is reserved for PwBD (VH)

2026/004	WELDER	<p>SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>WELDER</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>WELDER</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>WELDER</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.</p>	02 (UR: 01 & ST: 01)
2026/005	CARPENTER	<p>SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>CARPENTER</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>CARPENTER</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>CARPENTER</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.</p>	01 (OBC: 01)
2026/006	ELECTRICIAN	<p>SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>ELECTRICIAN</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>ELECTRICIAN</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>ELECTRICIAN</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.</p>	07 (UR: 03, EWS:01 & ST: 03)  Out of above, one post is reserved for ESM and one post is reserved for PwBD (HH)
2026/007	WIREMAN	<p>SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>WIREMAN</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>WIREMAN</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>WIREMAN</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.</p>	01 (OBC: 01)

2026/008	REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING (RAC)	<p>SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING (RAC)</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING (RAC)</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING (RAC)</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.</p>	02 (UR: 01 & ST: 01)
2026/009	DRAUGHTSMAN (CIVIL)	<p>SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>DRAUGHTSMAN CIVIL</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>DRAUGHTSMAN CIVIL</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>DRAUGHTSMAN CIVIL</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.</p>	01 (EWS: 01)
2026/010	AUTOMOBILE / MECHANIC MOTOR VEHICLE (MMV)	<p>SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>AUTOMOBILE / MECHANIC MOTOR VEHICLE (MMV)</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>AUTOMOBILE / MECHANIC MOTOR VEHICLE (MMV)</b> from a recognized institution.</p> <p>OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>AUTOMOBILE / MECHANIC MOTOR VEHICLE (MMV)</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.</p>	02 (UR: 01 & ST: 01)  Out of above, one post is reserved for ESM

<b>2026/011</b>	<b>DRAUGHTSMAN (MECHANICAL)</b>	<p>SSC / 10th Standard/ SSC or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and ITI certificate or national / state trade certificate in <b>DRAUGHTSMAN MECHANICAL</b> from a recognized institution.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 2 years' full time experience as an apprentice trainee in <b>DRAUGHTSMAN MECHANICAL</b> from a recognized institution.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>SSC / 10th Standard or equivalent with Science subjects, with minimum 55% marks and 3 years of work experience in <b>DRAUGHTSMAN MECHANICAL</b> in a Ministry /Department/Organization / Public Sector Undertaking / Autonomous Body under Government of India / State / UT.</p>	<p>03 (EWS: 01, SC: 01, ST: 01)</p> <p>Out of above, one post is reserved for ESM</p>
-----------------	---------------------------------	---	---

### **1. AGE LIMIT & RELAXATION**

- a. The minimum & maximum age, as on closing date of online application must be 18 years and 28 years respectively. The cut-off date for determining the age, qualifications, claim of SC/ ST/ OBC (NCL)/ EWS/ PwBD status or any other benefit, viz., fee exemption, reservation, age-relaxation, etc., where not specified otherwise, shall be the last date for submission of online application i.e. **19-06-2026**.
- b. The upper age limit is relaxable for various categories which is as under in accordance with extant Rules/ guidelines of Government of India/CSIR:

Sl. No.	Category	Age-relaxation Permissible beyond upper age limit
1.	Scheduled Caste/Scheduled Tribe (SC/ST)	05 years
2.	Other Backward Classes- Non Creamy Layer (OBC-NCL)	03 years
3.	PwBD (Unreserved)	10 years
4.	PwBD (OBC)	13 years
5.	PwBD (SC/ST)	15 years
6.	Departmental Candidate (CSIR Council employee) / Government Departments/ Autonomous Bodies/ Public Sector Undertaking employees	05 years
7.	Ex-Servicemen (Unreserved)	3 years after deduction of the actual military service rendered from the actual age as on the closing date, as per GoI orders amended from time to time.
8.	Ex-Servicemen (OBC/SC/ST)	6/8/8 years after deduction of the actual military service rendered from the actual age as on the closing date, as per GoI orders amended from time to time.
<b>Additional permissible relaxation in upper age limit for Group 'C' posts</b>		
9.	Widows / Divorced Women / Women Judicially separated and who are not remarried	Upto 35 years of age

10.	Widows / Divorced Women / Women Judicially separated and who are not remarried (OBC)	Upto 38 years of age
11.	Widows / Divorced Women / Women Judicially separated and who are not remarried (SC/ST)	Upto 40 years of age

- c. The SC/ST/OBC candidates who apply against unreserved (UR) vacancies will not be eligible for age relaxation.
- d. A candidate seeking appointment on the basis of reservation to OBCs must ensure that he / she possesses the caste/ community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date i.e., as **19-06-2026** on last date of submission of online application. OBC candidate's eligibility shall be based on Castes borne in the Central List of Govt. of India. OBC candidates should not belong to Creamy Layer. Their Sub-caste should match with the entries in Central List of OBC failing which their candidature shall not be considered under any of the applied reserved category and shall be treated as UR, if otherwise eligible.
- e. As per GOI provisions, age relaxation for Widows, Divorced Women and Women Judicially separated from Husbands who are not remarried, the upper age limit is relaxable up to the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and upto 38 years for members belonging to the Other Backward Classes in respect of the posts reserved for them). The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce following documentary evidence:
- i. In case of Widow, Death Certificate of her husband together with the Affidavit that she has not remarried since.
  - ii. In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands, a certified copy of the judgment/decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an Affidavit in respect of divorced Women that they have not remarried since.
- f. The benefit of reservation under EWS category will be regulated as per DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt.(Res.), dated 31.01.2019 and any other GoI/CSIR instructions applicable in this regard, at the time of last date of submission of application. Further, the crucial/cut-off date for submitting Income and Asset certificate by the EWS candidate will be the closing date for receipt of application for the post. Income & Asset Certificates issued subsequent to the crucial/cut-off date and for the later Financial Year shall not be accepted.
- g. Further, Family Gross Annual Income shall be computed for the financial year prior to the year of last date of submission of online application. For example, if the closing date for receipt of application for a post is **August, 2026**, the financial year for computing gross annual income of the family shall be **2025-2026** and the certificate shall be valid for **2026-2027**.
- h. Reservations for Persons with Benchmark Disabilities (PwBD): (Horizontal Reservation)
- i. Age relaxation of 10 (Ten) years [This implies that Scheduled Castes/Scheduled Tribes category candidates would get maximum 15 years age relaxation including 5 years meant for their respective categories. Similarly, OBC candidates would get maximum upto 13 years including 3 years age relaxation meant for OBC category] in upper age limit shall be allowed to persons suffering from the following benchmark disabilities as per GOI instructions: (i) Category A - blindness and low vision; (ii) Category B - deaf and hard of hearing; (iii) Category C - locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (iv) Category D - autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (v) Category E - multiple disabilities from amongst persons under clauses (A) to (D) including deaf/blindness subject to the condition that maximum age of the applicant on the crucial date shall not exceed 56 years.

- ii. The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce a certificate in prescribed proforma in support of their claims clearly indicating that the degree of physical disability is 40% or more. Those Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) who have availed the relaxation will have to submit Certificate of Disability issued by the Competent Authority as per the form V, VI and VII of rule 18(1) under chapter 7 of Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 dated 15.06.2017. The existing certificates of disability issued under the Persons with Disabilities Act 1995 (since repealed) shall continue to be valid for the period specified therein. In any case, the appointment of these candidates will be subject to their being found medically fit in accordance with the standards of medical fitness as prescribed by the Government for each individual Group C posts to be filled by Direct Recruitment by Selection. No Application Fee is payable by them.
  - iii. The age concession to the persons with disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved for person with disabilities or not, provided the post is identified suitable for the relevant category of disability.
  - iv. As per Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), GoI, O.M No. 18-25/2024-Policy dated 17-12-2025:
    - a. Disability conditions categorized as “*likely to improve*” under the temporary disability category shall not be eligible for reservation.
    - b. Disability conditions categorized as “*progressive, non-progressice or not likely to improve*” under the temporary disability category are to be treated eligible for reservation.
  - v. PwBD CANDIDATES SHOULD MENTION IN APPLICATIONS, THEIR CASTE/ COMMUNITY LIKE SC/ST/OBC(NCL)/GEN/EWS and also produce Certificate of the concerned Caste/Community, as this is a horizontal reservation. A candidate under the category PwBD will be considered to be eligible for appointment only if he/ she (after such physical examination as the appointing authority may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the applied posts.
  - vi. In case of persons with benchmark disabilities, the facilities of compensatory time and Scribe / Passage Dictator shall be governed by MOSJE instructions issued vide OM No. 34-02/2015-DD-III dated 29.08.2018 & Corrigendum No. 34-02/2015- DD-III(pt) dated 08.02.2019, endorsed by CSIR on 15.03.2019.
- i. Reservations for Ex- Serviceman: (Horizontal Reservation)
- i. Relaxation in upper age limit is available to ex-servicemen: 03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application.
  - ii. Ex-Servicemen who have already secured employment in civil side under Government in Group C &/or D posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment, are not eligible for reservation in ESM category and fee concession.
  - iii. However, such candidates can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for subsequent employment if he/ she immediately after joining civil employment, has given self-declaration / undertaking to the concerned employer about the date wise details of applications for various vacancies for which he had applied for before joining the initial civil employment as mentioned in the OM No. 36034/1/2014-Estt (Res) dated 14th August 2014 issued by DoP&T.

- iv. The period of “Call up Service” of an Ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation as per rules.
- v. For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, s/he must have already acquired, at the relevant time of submitting his/her application for the Post/Service the status of ex-servicemen or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the closing date for receipt of applications. Such candidates must also acquire the status of an ex-serviceman within the stipulated period of one year from the closing date of receipt of application.
- vi. The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time and the instructions issued by the Government vide DoP&T OM No. 36012/3/2021-Estt.(Res.II) dated 27.02.2023, which provides, inter-alia, as under: - “Candidates working in the Armed Forces would become eligible for applying Civil posts only when he completes the prescribed period of Armed Forces Service within a year from the last date of receiving application in connection with Special Recruitment/Examination, etc., prescribed by the Competent Authority. Provided, when selection process takes more than one year, from the last date of receiving of applications, the candidate will not be declared ineligible under Ex-servicemen category only on the ground that he has got himself released from Armed forces after one year from the last date of receiving of application.” Such candidates are also required to be in possession of the prescribed certificate of the Rules, by the closing date of the receipt of online application.
- vii. Explanation: An “ex-serviceman” means a person:
- a. Who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy or Air Force of the Indian Union, and; (i) who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his pension; or (ii) who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or (iii) who has been released from such service as a result of reduction in establishment; or
  - b. Who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity, and includes personnel of the Territorial Army namely, pension holders for continuous embodies service or broken spells of qualifying service; or
  - c. Personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medical or other disability pension; or

- d. Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987; or
- e. Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army; or
- f. Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension. A matriculate Ex-Serviceman (Which includes an Ex-Serviceman, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of service as on closing date of receipt of applications with the Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the Group "C" posts against posts reserved for ESM only. Thus, those matriculate Ex-Servicemen who have not completed 15 years of service as on the closing date for receipt of applications are not eligible for these posts.
- g. AGE CONCESSION IS NOT ADMISSIBLE TO SONS, DAUGHTERS AND DEPENDENTS OF EX-SERVICEMEN.
- j. SC / ST/ OBC [NCL] / EWS / PwBD / Ex-servicemen candidates are required to submit a copy of the certificate in the prescribed format signed by the specified authority valid for appointment of posts under the Central Government, along with the online application. The original certificates are to be produced as and when asked for by the Competent Authority, CSIR-CIMFR for verification. The candidature / appointment of candidate shall remain provisional till the veracity of all these certificates are established.
- k. The candidates appointed under PwBD/ESM quota shall be adjusted against the vacancy of respective category of SC/ST/OBC/EWS/ Unreserved (UR), as applicable.
- l. Any other age relaxation shall be applicable as per extant GoI/ CSIR Recruitment Rules.

## **2. General Information and Conditions**

### **I. Benefits under Council Service:**

- a. These posts carry usual allowances i.e. Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA) etc. as admissible to the central government employees and as made applicable to CSIR. Council employees are also eligible for accommodation of their entitled type as per CSIR (Allotment of Accommodation) Rules-2022.
- b. In addition to the emoluments indicated against each category of posts, benefits such as applicability of National Pension System 2004, reimbursements of Medical Expenses, Leave Travel Concession, Conveyance Advance and House Building Advance are available as per CSIR rules.
- c. The All New Entrants will be governed by the National Pension System (NPS) as introduced by the Govt. of India w.e.f. 01.01.2004 to the extent made applicable by CSIR to its employees. However, persons selected from other Government Departments/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Central Universities having Pension Scheme on GoI pattern will continue to be governed by the existing Pension Scheme i.e. CCS (Pension), Rules, 1972 (now-2021).
- d. The normal place of posting is CSIR-CIMFR, Dhanbad (Digwadih and Barwa Road Campus) including its Regional Centres i.e. Bilaspur, Nagpur, Ranchi, Roorkee and Raniganj. However, the appointee can be posted to work in any Section/Division in any of Laboratories / Institutes of CSIR including their field centres/regional centres in any part of India on the discretion of the Competent Authority.

- e. CSIR provides excellent opportunities to deserving candidates for career advancement under Assessment Promotion scheme.
- f. The appointment to the post shall be governed by the provisions of the Central Civil Services(Conduct) Rules, 1964, Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time and other Services Rules, to the extent made applicable to the Council Servant and decision of CSIR on their applicability shall be final and binding.

## II. Other conditions/information:

- a. The applicant must be a citizen of India.
- b. All applicants must fulfil the essential requirements of the post and other conditions stipulated in the advertisement as on the last date of receipt of the applications i.e. **19-06-2026**. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the essential qualifications laid down for various posts as on the last date of receipt of the applications. **No enquiry asking for advice as to eligibility will be entertained.**
- c. The applicant should submit the application form duly filled-in with all the relevant information along with scanned photograph, signature and documents through online mode only after reading the instructions carefully. The prescribed qualifications should have been obtained through recognized Universities / Institutions. Incomplete applications/applications received or not accompanied with the required certificates / documents are liable to be rejected.
- d. In respect of equivalent clause in Essential Qualifications, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of advertisement, then the candidate is required to produce order/letter in this regard, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated, otherwise the Application is liable to be rejected.
- e. The period of experience in a discipline / area of work, wherever prescribed, shall be counted after the date of acquiring the minimum prescribed educational qualifications for that Grade. The period of experience rendered by a candidate on part time basis, daily wages, visiting/ guest faculty will not be counted while calculating the valid experience for the post.
- f. The prescribed essential qualifications are the minimum and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for Trade Test. The duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short-listing the candidates The candidates should, therefore, mention in the application all the qualifications and experience in the relevant area over and above the minimum prescribed qualification, supported with documents from 10th standard onwards. If any discrepancy is found between the information filled by the applicant in the application form and the certificates/testimonials, etc. uploaded, the candidate's application shall be summarily rejected and the candidate shall be disqualified from further applying in this Organization.
- g. If any document/certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same either in Hindi or in English, duly attested by a Gazetted Officer or Notary, is to be submitted along with the Application Form.
- h. Date of Birth filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate will be accepted by the CSIR for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted. Date of birth should be supported with High School or Higher Secondary or Secondary School Certificate or extracts from Birth Register.
- i. Candidate shall not be reimbursed/paid any Travelling Allowance/Daily Allowance for appearing for Trade Test/Written Examination.

- j. The selected candidates shall not be permitted to apply for appointment elsewhere or in CSIR/CIMFR during the probationary period and if they have already applied for any posts in any other Organization, they may have to intimate the details of such applications immediately after joining the Institute.
- k. The Competent Authority, CSIR-CIMFR has the right to amend, delete or add terms & conditions to this advertisement.
- l. The selected candidate will be on probation for a specified period from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority.
- m. The decision of the CSIR-CIMFR, Dhanbad in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection and conduct of examination/interview will be final and binding on the candidates. Institute reserves the right not to fill up any of vacancies/post(s) advertised, if the circumstances so warrant. No enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency on behalf of the candidate.
- n. Canvassing in any form and/or bringing any influence political or otherwise will be treated as a disqualification for the post.
- o. Certificates/documents in support of experience must specify duration of experience in terms of date/month/year.
- p. The number of vacancies indicated above may vary i.e., it may increase or decrease at the time of actual selection. The selection process is subject to the CSIR/GoI instructions prevalent at a given point of time during various stages of selection process.
- q. Applicants must disclose as to whether any of their close or blood relatives are employees of CSIR-CIMFR or CSIR or any other laboratory/institute of CSIR, in the Application Form.
- r. **NO INTERIM ENQUIRY OR CORRESPONDANCE WILL BE ENTERTAINED.**
- s. **Any addendum/corrigendum/Information shall be posted on our official website only i.e. [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in) .**
- t. In case of discrepancies between the English version of this Advertisement and its Hindi translation, the English version shall prevail.

### **3. Selection Procedure:**

- a. The candidates as recommended by the Screening Committee, duly constituted for the purpose, shall be invited for a Trade Test. Those who qualify in the Trade Test shall be invited for a Competitive Written Examination. There will be three papers (Paper-I, Paper-II & Paper-III). Paper-II & Paper-III will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks (to be determined by the Selection Committee) in Paper-I. The Final merit list will be prepared only on the basis of the marks obtained by the candidates in Paper-II & Paper-III.
- b. The syllabus of the trade tests for the respective trades & competitive written examination will be notified in due course of time in the official website of the Institute i.e. [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in).
- c. The related details for the Written Examination (consisting of three papers covering Mental Ability Test, General Awareness & English Language and Concerned Subject etc.) are as under:-

**Scheme of Competitive Written Examination:**

<b>Mode of Examination</b>	OMR Based or Computer Based Objective Type Multiple Choice Examination
<b>Medium of Questions</b>	The questions will be set both in English and Hindi except the questions on English language
<b>Standard of Examination</b>	SSC + ITI / XIIth Standard
<b>Total No. of Questions</b>	150
<b>Total Time allotted</b>	2 hours 30 minutes

**Paper-I (Time Alloted – 1 hour)**

<b>Subject</b>	<b>No. of Questions</b>	<b>Maximum Marks</b>	<b>Negative Marks</b>
Mental Ability Test (include General intelligence, Quantitative Aptitude, Reasoning, problem solving, situational judgement etc.)	50	100 (two marks for every correct answer)	There will be no negative marks in this paper

**Paper-II (Time Alloted – 30 minutes)**

<b>Subject</b>	<b>No. of Questions</b>	<b>Maximum Marks</b>	<b>Negative Marks</b>
General Awareness	25	75 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer.
English Language	25	75 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer.

**Paper-III (Time Alloted – 01 hour)**

<b>Subject</b>	<b>No. of Questions</b>	<b>Maximum Marks</b>	<b>Negative Marks</b>
Concerned Subject*	50	150 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer.

\* Concerned Subject is based on the advertised qualification of the post

- The final merit list will be prepared only on the basis of the marks obtained by the candidates in Paper-II and Paper-III.
- In the event of tie in scores of candidates in the examination, merit will be decided by applying following criteria, as notified by CSIR vide its Circular Letter No. 5-1(211)/2014-PD dated 30.05.2023, in the order of precedence given below till tie is resolved.
  - i. Candidate with higher marks in the papers of concerned subject/trade placed higher,

- ii. Candidate with lesser negative marks, if applicable, in the papers (which have been considered for preparation of merit) of Written Test placed higher,
- iii. Candidate with lesser negative marks, if applicable, in the papers (which have been considered for preparation of merit) of Written Test placed higher,
- iv. Date of Birth, with older candidate placed higher,
- v. Candidate acquiring Essential Degree earlier placed higher,
- vi. Alphabetical Order in which first names of the candidates appear.

➤ The date, time and venue of the trade test and written examination will be intimated at the appropriate time to the candidates through CSIR-CIMFR website.

#### 4. **How to apply**

**CANDIDATES CAN APPLY ONLINE ONLY FROM 20-05-2026 (10:00 AM) TO 19-06-2026 (05:00 PM) AND NO OTHER MODE OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED.**

**THE LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION FEES (NON-REFUNDABLE) IS: 17-06-2026 (05:00 PM)**

#### **A. Application Registration**

- i. Eligible candidates are required to apply online through our website [cimfr.res.in/applyonline](http://cimfr.res.in/applyonline). Details of online application form will be available on the official website of CSIR-CIMFR i.e. [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in). No other mode of application will be accepted.
- ii. Candidates are advised to go through the instructions carefully for filling-up of online application.
- iii. Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection / inability or failure to login to the CSIR-CIMFR online recruitment portal on account of heavy load on the website during the closing days. CSIR-CIMFR will not be responsible for the candidates not being able to submit their online applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reason beyond the control of CSIR-CIMFR.
- iv. The candidate has to register online for submitting application form with his / her email-id and password. If the candidate does not have a valid E-mail ID, he/she should create a new valid E-mail ID before applying online. Candidate must fill in their correct and active e-mail address and mobile number in the online application, as communication may be made by the CSIR-CIMFR. The registered email address should be active till the completion of recruitment process.
- v. After successful registration, the candidate has to login using the credentials and fill up the primary registration details. After filling-up the primary details, the candidate can verify / edit the primary details to ensure that the application is complete and correct in all respect. Primary details once submitted cannot be changed further. After submitting the primary details, candidate can select the post code(s) and apply for the post(s) he/she is eligible for through the online application portal. After selecting the post, applicant can fill up the Educational & employment details and upload all the relevant certificates. The candidate can verify the online application before final submission to ensure that the application is complete and correct in all

- respect. Payment of application fees (wherever applicable) should be made through the link provided and upload the proof of the same. After finalizing, candidate shall upload all the relevant supporting documents and submit the online application form.
- vi. Applicants working in Government Departments on a regular/permanent post will be considered only if their applications are forwarded through the proper channel. Such applicants are required to upload a “No Objection Certificate (NOC)” from their employer at the appropriate place in the online application form. The NOC must also be produced at the time of document verification or whenever requested, failing which their candidature will not be considered. CSIR-CIMFR will not accept any candidate on lien or deputation basis.
  - vii. In case of Boards/Universities/Institutes awarding CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI grades etc., candidates are required to convert the same into percentage based on the formula as per their Boards/University/Institute. A copy of conversion formula of CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI grades etc., into percentage, issued by the Boards/Universities/Institutes to be uploaded in the online application.
  - viii. Candidates are required to pay application fees of Rs. 500/-. The non-refundable application fees of Rs.500/- wherever applicable, may be deposited through SBI Collect. Bank Transaction charges for Payment of application fees/intimation charges will have to be borne by the candidate. The link to pay online will be available on CSIR-CIMFR website / online recruitment portal. Scanned copy of e-receipt / challan must be uploaded with the online application through the portal. Applications without the prescribed fee (wherever applicable) would not be considered and summarily rejected. Candidates are also advised to preserve it for future reference.
  - ix. The candidates belonging to SC/ST/PwBD/Women/Ex-Servicemen category are exempted from submission of application fee.
  - x. A candidate can apply for multiple postcodes subject to fulfilling all eligibility criterion attached to each individual post code. However, candidate needs to fill the application (except primary/registration details) with the requisite application fee separately for each post code.
  - xi. Only a single application will be entertained from each candidate for each postcode. **IN CASE A CANDIDATE SUBMITS MULTIPLE ONLINE APPLICATIONS FOR A SINGLE POSTCODE WITH DIFFERENT EMAIL IDS, ONLY THE LATEST COMPLETED APPLICATION WILL BE CONSIDERED** and the application fee/ intimation charges paid for the other multiple registration(s) will stand forfeited.
  - xii. Incomplete online application will not be considered and will be rejected. Therefore, candidates are advised to make sure that his / her online application has been successfully submitted.
  - xiii. When online application is successfully submitted, it will be accepted ‘Provisionally’ subject to scrutiny of the online application by the Competent Authority.
  - xiv. Candidates should retain a copy of the application print-out and any payment details for their records, as these will not be available after the application deadline. Printout / Hardcopy of the online Application Form is not required to be sent to CSIR-CIMFR.
  - xv. Incomplete Applications in any respect (i.e. without photograph, unsigned and Application received without fee & enclosures if applicable etc.) will not be entertained and will be summarily rejected.
  - xvi. In case of any difficulty while submitting online registration/application please do write email at [racell.cimfr@csir.res.in](mailto:racell.cimfr@csir.res.in). To avoid last minute rush, candidates are advised to pay the online fee (if applicable) and apply online at the earliest. All further announcements/details pertaining to this process /updates /corrigendum

addendum etc. will be published/ provided only on CSIR-CIMFR official website [www.cimfr.res.in](http://www.cimfr.res.in) from time to time.

### **Steps to Pay the Application Fee (Rs. 500/-)**

- a) Visit the SBI Collect portal:  
<https://onlinesbi.sbi.bank.in/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=377003>
- b) You will be redirected to the SBI Collect page, then select: Recruitment Application Fee in payment category.
- c) Fill in the required details carefully:
  - Type of Application :- For Regular Recruitment.
  - Name of the candidate
  - Address
  - Advt. No.
  - Post Code
  - Any other mandatory details as displayed
- d) Complete the payment of Rs. 500/- by following the on-screen instructions.
- e) After successful payment, download and save the e-receipt or payment confirmation for future reference. The payment details must also be entered in the application form, and the e-receipt must be uploaded in the document upload section, wherever applicable.

### **B. Checklist of Documents which are compulsorily to be uploaded with the online Application:**

- i. The printed copy of State Bank Collect e-receipt/ Transaction reference for the application fee of Rs.500/- (wherever applicable).
- ii. Latest passport size colour photograph uploaded at appropriate place.
- iii. The signature of the candidate is uploaded at an appropriate place.
- iv. Copy of SSC/10th Standard or equivalent marksheet/certificate indicating date of birth or School leaving certificate indicating Date of Birth in support of Name and Date of Birth.
- v. Copy of Gazette Notification/Affidavit from appropriate authority in support of change of name/mismatch in name/variation in name of candidate/parents (if applicable).
- vi. Copy of educational certificate(s) and/or marksheet(s) supporting the essential qualifications and any higher qualifications.
- vii. Copy of relevant experience certificate (s), if any.
- viii. Copy of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Other Backward Class (Non-Creamy Layer)/Economically Weaker Section/PwBD certificate(s) in the prescribed Government of India (GoI) format issued by the specified authority, if applicable.
- ix. Copy of the 'Form of Declaration' from OBC (Non-Creamy Layer) candidates, supporting their claim in the application that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediately preceding three financial years (in addition to the community certificate).
- x. Copy of the 'No Objection Certificate' (NOC) from the employer for candidates currently working as regular/permanent employees in CSIR/Government Organizations/ Autonomous Bodies / Statutory Bodies/ Universities/ PSUs etc.
- xi. Any other relevant certificates in support of the claim(s) made in the application, as applicable.


Note 1 : The documents/ certificates uploaded must be legible.

Note 2 : Applications without the required documents(s) will be considered incomplete and will be summarily rejected.

Note 3 : Candidates will be asked to bring the documents in original along with self-attested photocopies at an appropriate time.

Note 4 : The decision of the Appointing Authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications to conduct Trade Test/Written examination will be final and binding on the candidates.

**Sd/-  
Controller of Administration**



**FORMAT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' FROM THE EMPLOYER OF CANDIDATE  
CURRENTLY WORKING AS REGULAR EMPLOYEE IN CSIR/ GOVERNMENT  
ORGANISATIONS /AUTONOMOUS BODIES /STATUTORY BODIES/ UNIVERSITIES/ PUBLIC  
SECTOR UNDERTAKINGS etc.**

**(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)**

No. ....

Date: [DD/MM/YYYY]

**No Objection Certificate for Applying to Advertisement No. [Advertisement Number]**

This is to certify that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee], [Designation], is a permanent/regular employee of this department/organization and has been serving in the capacity of [Current Position] since [Joining Date].

This department/organization has no objection to his/her applying for the position advertised vide Advt. No. [Advertisement Number] dated [Advertisement Date] for the position of [Post Code/Position]. This department/organization has no objection to Dr./Mr./Ms. [Employee's Name] participating in the selection process or being considered for the aforementioned employment in the new position.

It is also certified that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is not currently undergoing any penalties under the applicable conduct rules and Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is neither under suspension, nor any vigilance, disciplinary, or criminal cases is pending against him/her as of the date of issuance of this certificate.

This certificate is issued at the request of the applicant for the purpose of applying to the said advertisement.

Place: .....

**For [Name of Department/Organization],**

[Signature of Issuing Authority]  
[Name of Issuing Authority]  
[Designation of Issuing Authority]  
[Official Seal/Stamp]  
[Contact Information]  
[Department/Organization Address]

**FORM OF CERTIFICATE FOR CLAIMING AGE CONCESSION**

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

No. ....

Date: [DD/MM/YYYY]

**CERTIFICATE FOR CLAIMING AGE CONCESSION FOR APPLYING AGAINST  
ADVERTISEMENT NUMBER**

This is to certify that Dr./Mr./Ms. ....S/o/D/o/W/o  
Shri..... is a regularly appointed employee of  
..... (Name of the Institute) and duties performed by him/her during  
the period(s) are as under:

- (i) .....  
(ii) .....  
(iii) .....

Certified that:

\* (a) Dr./Mr./Ms. ....holds substantively a permanent  
post of .....in the.....(Name of the Institute) with effect  
from .....to .....

OR

\* (b) Dr./Mr./Ms. .... has been continuously in temporary service on a regular  
basis in the post of ..... at ..... (Name of the Institute) with  
effect from ..... to .....

\* *Strike out which is not applicable.*

Place: .....

**For [Name of the Institute],**

[Signature of Issuing Authority]  
[Name of Issuing Authority]  
[Designation of Issuing Authority]  
[Official Seal/Stamp]

**The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\*.....  
 Son/daughter\* of ..... of village/town\*.....  
 in District/Division\* ..... of the State/Union  
 Territory\* ..... belongs to the ..... caste/tribe\* which is  
 recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* under:-

- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, i 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act. 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act. 1987.]

- @ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
- @ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
- @ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act. 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another,

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Shrimati\*.....Father/ Mother of Shri/ Shrimati/ Kumari\* ..... of village/town\*/Territory\*\* ..... in District/ Division\* .....of the State/ Union Territory\* ..... who belong to the caste/tribe\* which is

recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* in the State/Union Territory\* issued by the..... dated.....

% 3. Shri/Shrimati/Kumari\*.....and/or\* his/her\* family ordinarily resides in village/town\* ..... of ..... District/Division\* of the State/Union Territory\*

Signature.....

\*\*Designation.....

(With Seal of Office) State/Union Territory\*

Place:.....

Date:.....

\* Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable

NOTE: The term “ordinarily reside (s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

**Note:**

ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES  
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ village/town \_\_\_\_\_ in District/Division belongs to the \_\_\_\_\_ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\* and/or his family ordinarily reside(s) in the \_\_\_\_\_ District/Division of the \_\_\_\_\_ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004- Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013\*\*

Signature \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_

Dated:  
Seal

\* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

\*\* As amended from time to time.

§ List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

FORM OF DECLARATION TO BE SUBMITTED BY THE 'OTHER BACKWARD CLASS'  
CANDIDATE  
(IN ADDITION TO THE COMMUNITY CERTIFICATE)

I \_\_\_\_\_ Son/daughter of Shri \_\_\_\_\_  
resident of village/town/city \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_  
state \_\_\_\_\_ hereby declare that I belong to the \_\_\_\_\_ community

which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36102/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and as amended time to time.

I also declare that the condition of status/annual income for creamy layer of my Parents/guardian is within prescribed limits as on last date of application.

Signature \_\_\_\_\_

Full Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## Form-V

## Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent PP Size Attested  
Photograph (Showing face  
only) of the Person with  
disability

Certificate No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_

son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of Birth (DD/MM/YY)

\_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_ registration No.

\_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_

Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State

\_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is \_\_\_\_\_

(C) he/she has \_\_\_\_\_ % (in figure) \_\_\_\_\_ percent (in words)  
permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her \_\_\_\_\_ (part of body) as  
per guidelines ( .....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of  
notified Medical Authority)Signature/thumb impression of the person in  
whose favour certificate of disability is issued

**Form – VI**  
Certificate of Disability  
**(In cases of multiple disabilities)**  
[See rule 18(1)]

**(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)**

Recent PP Size Attested  
Photograph (Showing face  
only) of the Person with  
disability

Certificate No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_  
son/wife/daughter \_\_\_\_\_ of Shri \_\_\_\_\_ Date  
of Birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female.  
Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House  
No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post  
Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ whose photograph is affixed  
above, and am satisfied that:

(A) He/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guideline (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S.No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment / mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			

13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thakassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his /her over all permanent physical impairment as per guidelines(\_\_\_\_\_number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures:- \_\_\_\_\_percent

In words:- \_\_\_\_\_percent

2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,Or

(ii) is recommended/ after \_\_\_\_\_ years\_\_\_\_\_ months, and therefore this certificate shall be valid till \_\_\_\_\_(DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

# e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of the Chairperson</b>

Signature / Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued.

**Form – VII**  
**Certificate of Disability**  
**(IN CASES OTHER THAN THOSE MENTIONED IN FORMS V AND VI)**  
 [See rule 18(1)]  
**(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)**

Recent PP Size Attested Photograph (Showing face only) of the Person with disability

Certificate No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

1. This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_  
 son/wife/daughter \_\_\_\_\_ of Shri \_\_\_\_\_ Date  
 of Birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female.  
 Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House  
 No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post  
 Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ whose photograph is affixed  
 above, and are satisfied that he/she is a case of \_\_\_\_\_ Disability. His/Her extent of  
 percentage physical impairment / disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown  
 against the relevant disability in the table below:

S.No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment / mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			

13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thakassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary, Or

(ii) is recommended/ after \_\_\_\_\_ years \_\_\_\_\_ months, and therefore this certificate shall be valid till \_\_\_\_\_ (DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

# e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned

(Countersignature and seal of the Chief Medical Officer/ Medical Superintendent/ Head of Government Hospital, in case the certificate is issued by a medical authority who is not a government servant (with seal))

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued.

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

**Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.**

This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs ..... (name of the candidate), S/o /D/o ....., a resident of .....(Vill/ PO/ PS/District/State), aged ..... years, a person with ..... (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto\_\_\_\_\_ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopaedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

**Certificate for serving Defence Personnel**

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) \_\_\_\_\_ (Rank) \_\_\_\_\_ (Name) \_\_\_\_\_ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) \_\_\_\_\_.

(Signature of Commanding Officer)  
Office Seal

Place:

Date:

**UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN**

I ....., bearing Roll No....., appearing for the Document Verification of the ..... Examination, 20....., do hereby undertake that:

- a. I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.
- b. I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' and 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or
- c. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined as.....on..... in the office of ..... I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about datewise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or
- d. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined as .....on..... in the office of..... Therefore, I am eligible for age-relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

Signature: .....

Name: .....

Roll Number: .....

Date: .....

Date of appointment in Armed Forces: .....

Date of Discharge: .....

Last Unit/ Corps: .....

Mobile Number: .....

Email ID: .....